भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1559

दिनांक 5 फरवरी, 2014 को उत्तर दिए जाने के लिए
थाईलैण्ड द्वारा आयातित इस्पात पर शुल्क लगाया जाना

1559. श्री प्रकाश जावडेकरः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) थाईलैण्ड द्वारा भारत से आयात किए जाने वाले इस्पात पर लगाए गए शुल्क का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या इसका इस्पात का निर्यात कर रही कंपनियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार अपने विनिर्माण क्षेत्र के हितों की रक्षा करने तथा इस्पात के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. ई.एम.सुदर्शन नाच्चीयप्पन)

(क) एवं (ख) हाल ही में 15 सितंबर, 2013 से 26 फरवरी, 2014 की अवधि हेतु 44.2% के यथा मूल्य दर पर भारत के मूल के कुछ विशिष्ट हॉट रोल्ड स्टील फ्लैट उत्पादों के आयातों पर थाइलैंड ने एक निश्चयात्मक रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित किया है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)के तहत रक्षोपाय करार के प्रावधानों के अनुसार इसे उत्तरोत्तर घटाया जाएगा।

इस तरह से अधिरोपित रक्षोपाय शुल्क भारत से उन विशिष्ट उत्पादों के थाईलैंड को निर्यात को प्रभावित करेगा।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए सरकार लगातार नीतियों की समीक्षा कर रही है तथा समय-समय पर सहायता प्रदान कर रही है। आयातों पर शुल्कों के निष्प्रभावीकरण के अलावा सरकार फोकस उत्पाद स्कीम, फोकस बाजार स्कीम, बाजार संबद्ध फोकस उत्पाद स्कीम, ब्याज दर में छूट, वृद्धिशील विकास स्कीम आदि के जरिये इंजीनियरिंग क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ घरेलू विनिर्माण क्षेत्र के संरक्षण के लिए, सरकार इस्पात उत्पादों के आयातों की भी निगरानी कर रही है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि ऐसे आयात जिन्हें घरेलू विनिर्माण के सुदृढीकरण द्वारा टाला जा सकता है, को अभिज्ञात किया जा सके। डब्ल्यूटीओ के तहत अधिकारों एवं कर्तव्यों का पालन करते हुए आयातों पर पाटन-रोधी एवं रक्षोपाय शुल्कों के जरिये सरकार भी व्यापार उपचारात्मक कार्रवाई कर रही है।

*****